Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
011-24600200

फैक्स / Fax :
011-24651186

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक–ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023

सं. / No. 024/वीजीएल/081

दिनांक / Dated. दिनांक: 01.08.2024

परिपत्र संख्या 08/08/24

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 का अनुपालन

केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से निपटने के अपने अधिदेश के प्रभावी कार्यान्वयन में कई रणनीतियाँ अपनाता है। **`सतर्कता जागरूकता सप्ताह`** का अनुपालन, जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ निवारक सतर्कता के प्राथमिक उपायों में से एक है तथा लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन उस सप्ताह में करता है जिस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। इस वर्ष, आयोग ने निर्णय लिया है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 निम्न मूल कथ्य पर दिनांक 28 अक्तूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक मनाया जाएगा :

"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"
"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 आरंभ होने से पहले, आयोग यह चाहता है कि सभी संगठन निम्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवारक सतर्कता पर **16 अगस्त 2024 (शुक्रवार) से 15 नवंबर 2024 (शुक्रवार) तक तीन माह का अभियान** चलाएं :

क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम
ख) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन
ग) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/ नियमावलियों का अद्यतनीकरण
घ) 30.06.2024 से पूर्व प्राप्त शिकायतों का निपटान
ङ) सक्रिय डिजिटल विद्यमानता

3. सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन, अभियान के दौरान विचारणीय परिणाम लाने के लिए सभी संबंधितों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस तीन माह की अभियान अवधि के दौरान, पाँच निवारक सतर्कता उपायों के संबंध में जिन्हें ध्यान केंद्रित किए गए क्षेत्रों के रूप में लिया जाना है, पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा **अनुबंध 'क'** में संलग्न प्रारूप के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को **30 नवंबर 2024** तक भेज दी जाए।

4. यह सूचना आयोग की वेबसाइट **http://www.cvc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह०/-
(पी. डेनियल)
सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

प्रति,

i) भारत के कैबिनेट सचिव
ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव
iii) सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
iv) निदेशक, सीबीआई
v) प्रवर्तन निदेशक
vi) सभी सीपीएसई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / सोसाइटियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
vii) मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों / वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त संगठनों / सोसाइटियों में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

अनुलग्नक क

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 आरंभ होने से पहले होने वाले कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त से 15 नवंबर 2024) के दौरान की जाने वाली निवारक सतर्कता गतिविधियों का विवरण।

1. **क्षमता निर्माण कार्यक्रम**

(क) **पहल**

किसी भी संगठन को अपने उद्देश्य और कार्यप्रणाली में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है कि उसके कर्मचारियों के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण प्रणाली हो। आयोग, निवारक सतर्कता के प्रमुख पहलुओं के संबंध में उन कर्मचारियों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जो पिछले कुछ वर्षों में भर्ती हुए हैं। सभी मंत्रालय / विभाग / संगठन नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। जिन कर्मचारियों ने दस या अधिक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उनके लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया जा सकता है। इन प्रशिक्षणों के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले विषयों की सूची इस प्रकार है :

i) नैतिकता और शासन
ii) आचरण नियम
iii) संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ
iv) साइबर हाइजीन और सुरक्षा
v) खरीद

(ख) **रिपोर्टिंग प्रारूप**

संगठन का नाम:

उन अधिकारियों की संख्या जिन्होंने उपर्युक्त विषयों पर अभियान अवधि के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया है, निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान की जाए :

क्षमता निर्माण कार्यक्रम			
अवधि	**प्रशिक्षण का नाम** नवीन भर्ती / पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	**प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या**	**संक्षिप्त विवरण**

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम
मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

2. **प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और उनका कार्यान्वयन**

(क) **पहल**

भ्रष्टाचार के खतरे के विरुद्ध सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने में सतर्कता निवारक पहलें महत्वपूर्ण हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, निम्न कार्य-योजना अपनाई जा सकती है :

i) सभी मंत्रालय/विभाग उन सामान्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पिछले 05 वर्षों के सतर्कता मामलों का विश्लेषण करें, जहाँ भ्रष्टाचार होता है और उससे निपटने के लिए प्रणालीगत सुधारों को आरंभ / क्रियान्वित करें।

ii) आयोग ने पहले भी विभिन्न मामलों में प्रणालीगत सुधार उपायों की सलाह दी है। संगठन इन उपायों को लागू करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएं।

(ख) **रिपोर्टिंग प्रारूप**

संगठन का नाम

i) पिछले 05 वर्षों के सतर्कता मामलों की संख्या जिन्हें विश्लेषण हेतु लिया गया है। विश्लेषण के आधार पर पहचान किए गए भ्रष्टाचार संभावित प्रमुख क्षेत्र और प्रणालीगत सुधारों की पहचान की गई तथा लागू किया गया/ लागू किया जा रहा है। उनका संक्षिप्त विवरण दिया जाए।

ii) अभियान अवधि के दौरान आयोग द्वारा सुझाए गए (16 अगस्त 2024 तक लंबित) और क्रियान्वित प्रणालीगत सुधारों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप में:

अवधि	**अभियान अवधि के दौरान क्रियान्वित प्रणालीगत सुधार**	**पिछले 5 वर्षों के दौरान सुझाए गए प्रणालीगत सुधार किन्तु जो कार्यान्वयन हेतु लंबित हैं**
16 अगस्त से 15 नवंबर 2024		

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम
मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

3. **परिपत्रों / दिशानिर्देशों / नियमावलियों का अद्यतनीकरण:**

क) **पहल**

पिछले अनुदेशों के क्रम में, सभी संगठनों को उन परिपत्रों / दिशानिर्देशों / नियमावलियों की पहचान करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, जिन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है और उनका अद्यतनीकरण सुनिश्चित करने व संबधित वेबसाइटों पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

ख) **रिपोर्टिंग प्रारूप**

संगठन का नाम

i) क्या अभियान अवधि के दौरान दिशानिर्देशों / परिपत्रों और नियमावलियों को अद्यतन किया गया है ?
ii) संक्षिप्त विवरण दिया जाए।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम
मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

4. **30.06.2024 से पूर्व प्राप्त शिकायतों का निपटान**

क) **पहल**

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शिकायतें लंबित न रहें और निर्धारित समय अवधि के भीतर उनका तार्किक निष्कर्ष निकाला जाए। सभी संगठन यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 30.06.24 को या उससे पूर्व प्राप्त सभी शिकायतों का निपटान कर दिया जाए।

ख) **रिपोर्टिंग प्रारूप**

संगठन का नाम

क्र सं	**विवरण**	**संख्या**	**टिप्पणी, यदि कोई हो तो**
1	16.08.2024 तक लंबित शिकायतें जो 30.06.24 को या उससे पहले प्राप्त हुई हैं।		
2	30.06.24 को या उससे पहले प्राप्त शिकायतों का अभियान अवधि के दौरान निपटान।		
3	15.11.2024 को लंबित शिकायतें जो 30.06.24 को या उससे पहले प्राप्त हुई हैं।		

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम
मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर

5. **सक्रिय डिजिटल विद्यमानता**

(क) **पहल**

विवरण/जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक / हितधारक वेबसाइट का अवलोकन करते हैं। अतः सभी संगठनों को अधिक पारदर्शिता और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट का तत्परता के साथ नियमित अद्यतनीकरण करना चाहिए। संगठनों को वेबसाइटों के विकास और रखरखाव पर मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों (जैसे GIGW 3.0 / बैंकों में ग्राहक सेवा पर आरबीआई का मास्टर परिपत्र / सुरक्षा लेखापरीक्षा) का अनुसरण करना चाहिए। इस संबंध में, अभियान अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य योजना पर कार्य किया जाना है:

i) अभियान अवधि के दौरान, सभी संगठनों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि उनकी वेबसाइट अद्यतन हैं और उसमें सभी उचित और सम्बद्ध जानकारी उपलब्ध है।
ii) अभियान अवधि के दौरान, सभी संगठन ऐसे क्षेत्रों / गतिविधियों की पहचान करें जिन्हें उनकी मौजूदा वेबसाइट पर लाया जा सके और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
iii) नियमित रूप से वेबसाइट देखने के लिए और वेबसाईट में संशोधन / हटाने / अद्यतन करने के लिए, विधिवत अनुमोदन के साथ वेबमास्टर को इनपुट प्रदान करने के लिए, सभी नामित प्रशासकों की जिम्मेदारी निर्धारित करके एक उचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
iv) विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी / एनआईसी को वेबसाइट अद्यतनीकरण के संबंध में आवधिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रणाली आरंभ की जाए।

ख) **रिपोर्टिंग प्रारूप**

संगठन का नाम:

वेबसाइट का नियमित रखरखाव एवं अद्यतनीकरण – किया जा रहा है या नहीं?

वेबसाइट के अद्यतनीकरण और समीक्षा के लिए प्रणाली आरंभ की गई।

क्या अतिरिक्त क्षेत्रों/गतिविधियों/सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है और यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम
मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर